भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त परिषद)
सोताई देववन, जोरहाट-*785010, असम*
ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE
(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Sotai Deovan, Jorhat-785010, Assam
दूरभाष/Phone: 0376-2305101/105 ई मैल/E-Mail ID: dir_rfri@icfre.org

संख्या/No.: 3/228/2009-स्थापना/अंक-II/ 684 दिनांक/Dated the 7th September, 2023

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: भा.वा.अ.शि.प.- व.व.अ.सं., जोरहाट में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन...बाबत।
Subject: Implementation of Official Language Policy in ICFRE-RFRI, Jorhat – Reg.

सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2023-24) में दिए गए राजभाषा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सभी सरकारी कामकाज में सामान्यतः हिन्दी का प्रयोग किया जाये। इसलिए, नीति की न्यूनतम आवश्यकताओं को लागू करने के हिस्से के रूप में निम्नलिखित सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है/ It is informed that efforts are being made by ICFRE-Rain Forest Research Institute, Jorhat to achieve the Official Language targets given in the Annual Program (2023-24) issued by the Department of Official Language, Government of India. The objective of Official Language policy is that normally Hindi be used in all Government business. Therefore, it is requested to ensure the following as part of implementing the minimum requirements of the Policy:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सामान्य आदेश, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी रूपान्तरण, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे।
   Under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963, General Orders, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Tenders Notices and Tender Forms should invariable be issued bilingually both in Hindi and English. Under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976, it shall be the responsibility of person signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed or issued in both Hindi and English languages. And it should also be kept in view that while issuing such documents, the Hindi version should precede the English one.
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना है। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्रादि जारी होता है, स्वयं उसको यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि कोई पत्र हिन्दी में प्राप्त हुआ है अथवा किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर यदि हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हो तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।/ As per Rule 5 of Official Language Rules, 1976, communication received in Hindi are to be replied to in Hindi only. It should be the responsibility of the officer signing the letters etc. to see that if any letter has been received in Hindi or if any application, appeal or representation has been signed in Hindi, then it should be replied to in Hindi.

जारी...P.T.O